संख्या–1753 / 9–आ–4–99–704एन0 / 97टी0सी0

प्रेषक,

यज्ञवीर सिंह चौहान,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश**
2. **समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।**
3. **उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण लखनऊ / देहरादून।**

आवास अनुभाग–4 लखनऊ : दिनाँक : 15 जून, 1999

विषय :नजूल भूमि के प्रबन्ध एवं निस्तारण सम्बन्धी निर्गत शासनादेश संख्या–1595 / 9–आ–4–99–704 एन0 / 97, दिनाँक 22 मई, 1999 में फ्री–होल्ड हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की समय सीमा में विस्तार।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है शासनादेश संख्या–2268 / 9–आ–4–98–704एन0 / 97, दिनाँक 1–12–98 को व्यवस्थान्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने की समय सीमा का विस्तार शासनादेश संख्या–1595 / 9–आ–4–99–704एन0 / 97 दिनाँक 22 मई, 1999 के माध्यम से दिनाँक : 15 जून, 1999 तक के लिये किया गया था।

इस सम्बन्ध में जनपदों से समय सीमा के विस्तार के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए आवेदन पत्र प्राप्त करने की समय सीमा का विस्तार दिनाँक 30 जून, 1999 तक किये जाने का निर्णय लिया गया है।

कृपया तदनुसार फ्री–होल्ड प्रकरणों में अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
यज्ञवीर सिंह चौहान
विशेष सचिव।

संख्या–1753(1)/9–आ–4–99, तददिनाँक।

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश।
2. वित्त (व्यय–नियंत्रक) अनुभाग–6

आज्ञा से,
जावेद एहतेशाम
अनु सचिव।